**संख्या- 6/710/पैंतीस-2-2014-3/16(60)/2013**

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

**नियोजन अनुभाग-2** **लखनऊ: दिनांक: 09 अप्रैल, 2014**

विषय- **वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु प्रथम चार माह के लिए स्वीकृत लेखा अनुदान के सापेक्ष आय-व्ययक में " जिला योजना की संरचना (जिला योजना समिति)" हेतु आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम चार माह हेतु स्वीकृत लेखा अनुदान के सापेक्ष आय-व्ययक में चालू योजना " जिला योजना की संरचना (जिला योजना समिति)" हेतु निम्नलिखित मदों में प्रावधानित रू0 18,00,000/- (रूपये अट्ठारह लाख मात्र) की धनराशि के सापेक्ष रू0 6,00,000/- (रू0 छः लाख मात्र) निम्न शर्तो के अधीन निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

| क्र0 सं0 | व्यय की मानक मद | मद का संक्षिप्त विवरण | वर्ष 2014-15 का आय-व्ययक अनुमान | वर्ष 2014-15 के प्रथम चार माह हेतु स्वीकृत लेखा अनुदान | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 16- व्यसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | परामर्शी, व्यवसायिक इत्यादि सेवाओं के चार्जेज का भुगतान | 9,00,000 | 3,00,000 | 75 जनपदों को रू0 4000/- जनपद की दर से (नवसृजित जनपदों सहित)। |
| 2 | 42-अन्य व्यय | जिला योजना समिति से संबंधित विविध् व्यय | 9,00,000 | 3,00,000 | 75 जनपदों को रू0 4000/- जनपद की दर से (नवसृजित जनपदों सहित)। |
| | **योग-** | | **18,00,000** | **6,00,000** | |

**( रू0 छः लाख मात्र)**

shasanadesh.up.nic.in

2- यह स्वीक़ति वित्त (आय-व्यय ) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14.03.2014 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रावधानों के अन्तर्गत जारी की जा रही है।

3- धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी जिस मद के लिए स्वीकृत की गयी है।

4- सामग्री/सेवाओं के उपार्जन में " उत्तर प्रदेश स्टोर पर्चेज रूल्स" तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनागत-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-जिला योजना की संरचना (जिला योजना समिति) के सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

7- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद उत्त्र प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-2 को प्रेषित किया जायेगा।

भवदीय,

**( नवीन चन्द्र त्रिपाठी)**
विशेष सचिव।

**संख्या: (1)/पैंतीस-2-2014-तद दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग ) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थर्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
6. वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1
8. नियोजन अनुभाग-1
9. संबंधित पत्रावली।

आज्ञा सें,

**( नवीन चन्द्र त्रिपाठी)**
विशेष सचिव।

shrawadesh.up.nic.in